

254

आयालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०



R-2395-II/14

1. श्रीमती मितिया बाई उम्र लगभग 75 वर्ष पत्नी स्व० नत्थू कोल
2. मिट्ठूलाल उम्र लगभग 50 वर्ष पिता स्व० नत्थू कोल
3. मिन्नु उम्र लगभग 40 वर्ष आत्मज स्व० नत्थू कोल

पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 ता 4 निवासी ग्राम डबरौहा, तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया म०प्र०

4. अमित कुमार उम्र लगभग 36 वर्ष आत्मज स्व० गोपाल

कोल, निवासी उजनिया तहसील व जिला उमरिया म०प्र०

---पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम्

1. म०प्र० शासन द्वारा सचिव राजस्व मंत्रालय विभाग वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०

2. अतिरिक्त कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल म०प्र०

3. कलेक्टर उमरिया जिला उमरिया म०प्र०

4. तहसीलदार बांधवगढ़ जिला उमरिया म०प्र०----अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू

राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक अपील प्रकरण क्रमांक

181/अपील/2011-12 माननीय कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग

शहडोल के यहां प्रस्तुत की थी उक्त अपील मे आदेश दिनांक 09.

05.13 पारित किया गया उक्त अपील कलेक्टर महोदय के प्रकरण

398
21-7-14

श्री. ज. व. ल. को. ल. ड. व. ए. के.
द्वारा आज दिनांक 21-07-14 को प्रस्तुत किया गया।

सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय
21-7-14

क्रमांक 2395/14
सर्जिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक को प्राप्त

चलक ऑफिस क्रमांक 2-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-उमरिया

मामला क्र०-R.2395-II/14

मितिया बाई / शासन म०प्र०

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	